न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–टि.ए. 35/2021
पंजीयन दिनांक 10.08.2021

(1). भूरा पिता प्यारा जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(2). मोधू पिता प्यारा जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(3). रतनलाल पिता नारायण जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(4). श्रवणलाल पिता मांगू जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(5). लेहरू पिता नारायण जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(6). चम्पालाल पिता मांगु जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(7). कन्हैयालाल पिता नारायण जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(8). कालू पिता प्यारा जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(9). गजेन्द्र पिता किशना जाति बंजारा निवासी जीवानायक का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(10).परसराम पिता किशना जाति बंजारा निवासी जीवानायक का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(11).डिंगा पिता किशना जाति बंजारा निवासी जीवानायक का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). कनीराम पिता जस्सा जाति बंजारा निवासी जीवानायक का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(2). बदामी पुत्री किशना जाति बंजारा निवासी जीवानायक का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(3). बच्ची पुत्री किशना पत्नी भैरूलाल जाति बंजारा निवासी जीवानायक का खेडा हाल निवासी जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(4). कल्लाबाई पुत्री किशना पत्नी बहादुर जाति बंजारा निवासी जीवानायक का खेडा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी भमेरिया तहसील रठाजना जिला प्रतापगढ़।

(5). महिमा पुत्री किशना पत्नी बाबुलाल जाति बंजारा निवासी जीवानायक का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी गोपालपुरा तहसील झारडा जिला नीमच(मध्यप्रदेश)।

(6). शंकर पिता प्यारा जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(7). रतनी पिता प्यारा पत्नी हीरालाल जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार हाल निवासी रोलाहेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(8). दिनेश पिता मांगू जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(9). काली पिता मांगू पत्नी चम्पालाल जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(10). भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 22/2020 प्रार्थना–पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.07.2021

उपस्थित वक्त बहस–(1).रतनलाल जाट–अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2).ललित शर्मा –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3).पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 10

निर्णय **दिनांक 27.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(1) के अन्तर्गत विपक्षीगण अपीलांट्गण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जोजरो का खेड़ा तहसील गंगरार की जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 5 मे दर्ज आराजी संख्या 19, 21 मीन, 38 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम एकल खातेदार मे दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी तथा कब्जे काश्त की होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या की आराजीयात के पश्चिम दिशा मे ग्राम जीवानायक का खेड़ा की सरहद की तरफ विपक्षीगण संख्या 1 से 14 की आराजीयात स्थित है। आम रास्ता व प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात के बीच

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गण की आराजीयात स्थित है। ग्राम जीवानायक का खेड़ा की सीमा पर स्थित में रास्ते से होते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम मोखमपुरा की सीमा मे स्थित विपक्षीगण की आराजीयात आराजी संख्या 15, 16, 17, 18, 49, 51, 54, 71, 71/2 एवं चारागाह की आराजी संख्या 72 पर प्रवेश होकर करीब 20 फीट चौड़े रास्ते से अपनी आराजीयात में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता गाडी गडारनुमा होकर मौके पर चालू हालात मे है जो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी संख्या 19, 21 मीन, 38 खेतो पर आता जाता है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात व आम रास्ते के बीच मे विपक्षीगण की आराजीयात स्थित है जिस पर जाने का रास्ता मौके पर करीब 20 फीट चौड़ा होकर गाडी गडार का रास्ता है और उसी रास्ते से होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी खातेदारी की आराजीयात मे प्रवेश करता है। जो संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त दर्शाये रास्ते तक मौके पर रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसका परिवार कई वर्षो से कर रहा है तथा अपने खेत पर कृषि कार्य करने के लिए इसी रास्ते का उपयोग आने-जाने हेतु करता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने-जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। परन्तु प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने-जाने का उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नहीं होने का फायदा उठा कर विपक्षीगण ने उक्त दर्शाये रास्ते को जबरन, बिना किसी अधिकार के बन्द कर दिया है और प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के शान्तिपूर्ण रास्ते के उपयोग उपभोग के गैर कानूनी तरीके से विघ्न डाल दिया है जिसका विपक्षीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। विपक्षीगण द्वारा रास्ता बन्द किये जाने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं की आराजीयात पर नहीं जा पा रहा है जिससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है जिससे उक्त रास्ते को खुलवाया जावे एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन करवाया जावे, प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्ते का उपयोग केवल रास्ते के रूप मे ही करेगा, किसी अन्य कार्य मे इसका उपयोग नहीं करेगा और इसके लिये नियमानुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर से राशि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विपक्षीगण को अदा करने हेतु तैयार है। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मोखमपुरा तहसील गंगरार की आराजी संख्या 15, 16, 17, 18, 49, 51, 54, 71, 71/1, 72 मे से संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाये गये रास्ते के अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने-जाने के लिए किस्म रास्ता के रूप मे राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अथवा बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया। उक्त रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई भूमि को नियमानुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विपक्षीगण को अदा करने को तैयार है साथ ही विपक्षीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वे उक्त रास्ते को बन्द नहीं करे , अगर रास्ता मौके पर बन्द कर देवे तो उसे खुलाया जावे व प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

के दौराने वाद फोत हो जाने से उसके वारिसान को रेकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत हुआ जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के वारिसान को रेकॉर्ड पर लिया जाकर विपक्षी संख्या 1 के वारिसान को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1/2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ । अन्य विपक्षीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। दिनांक 23.07.2021 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मोखमपुरा तहसील गंगरार की आराजी संख्या 17 रकबा 1.07 हैक्टेयर मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 49 रकबा 0.84 हैक्टेयर मे से 0.0150 हैक्टेयर, आराजी संख्या 51 रकबा 0.07 हैक्टेयर मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 53 रकबा 0.38 हैक्टेयर मे से 0.0150 हैक्टेयर, आराजी संख्या 54 रकबा 0.24 हैक्टेयर मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 71 रकबा 0.50 हैक्टेयर मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी सख्या 72 रकबा 0.90 हैक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि संलग्न कमिश्नर रिपोर्ट मे वर्णित लाल स्याही से अंकित रास्ता अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जमीन पर आने-जाने के लिए रास्ते के रूप मे बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया जाकर उक्त रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई भूमी की एवज मे डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशी का भुगतान प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सम्बंधित पक्षकारान को उनके रास्ते हेतु उपयोग मे आई खातेदारी भूमी को उनके हिस्से अनुसार अदा किये जाने हेतु बैंकर्स ड्राफ्ट प्रस्तुत करने व उक्त भूमि को रास्ते के रूप मे बिलानाम रास्ता दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे मे अंकन किये जाने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपीलांट्गण विपक्षीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा मोखमपुरा तहसील गंगरार की आराजी संख्या 19, 21 मीन, 38 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जीयात के पश्चिम दिशा मे मौजा जीवानायक का खेड़ा की सरहद की तरफ आराजी नम्बर 15, 16, 17, 18, 49, 51, 54, 71, 71/1 व चारागाह की आराजी संख्या 72 मे होकर रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किया जावे। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली विपक्षीगण की तामील व जवाब हेतु नियत थी जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.07.2021 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मोखमपुरा तहसील गंगरार की आराजी संख्या 17 रकबा 1.07 हैक्टेयर मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 49 रकबा 0.84 हैक्टेयर मे से 0.0150 हैक्टेयर, आराजी संख्या 51 रकबा 0.07 हैक्टेयर मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 53 रकबा 0.38 हैक्टेयर मे से 0.0150 हैक्टेयर, आराजी संख्या 54 रकबा 0.24 हैक्टेयर मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 71 रकबा 0.50 हैक्टेयर मे से 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 72 रकबा 0.90 हैक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि संलग्न कमिश्नर रिपोर्ट मे वर्णित लाल स्याही से अंकित रास्ता अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जमीन पर आने-जाने के लिए रास्ते के रूप मे बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया जाकर उक्त रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई भूमी की एवज मे डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशी का भुगतान प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सम्बंधित पक्षकारान को उनके रास्ते हेतु उपयोग मे आई खातेदारी भूमी को उनके हिस्से अनुसार अदा किये जाने हेतु बैंकर्स ड्राफ्ट प्रस्तुत करने व उक्त भूमि को रास्ते के रूप मे बिलानाम रास्ता दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे मे अंकन किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश अपीलांटगण विपक्षीगण को सुने बिना एकतरफा मे पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता पूर्व दिशा मे उसकी स्वयं की आराजी संख्या 37 मे स्थित है जो उसके पुत्र बहादुरसिंह के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। उक्त तथ्य का उल्लेख प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे नहीं किया है। आराजी संख्या 33 के पूर्व दिशा मे स्थित आराजी संख्या 36 व 33 के उत्तरी दिशा मे स्थित रास्ते से होकर आम रास्ता मोखमपुरा से जवासिया के जुडवा है जो सबसे निकट का रास्ता होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्ते का ही उपयोग करता है। परन्तु प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय को गुमराह कर पटवारी हल्का से मिलकर मौके की सही स्थिति नहीं बताकर गलत रूप से तैयार मौका स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। साथ ही चारागाह भूमि मे रास्ता कायम नही किया जा सकता है क्योंकि चारागाह भूमि राजकीय होकर सार्वजनिक उपयोग हेतु होती है व आवंटित भी नहीं की जा सकती है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 72 चारागाह भूमि मे रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने-जाने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जी संख्या 36, 37 मे स्थित रास्ता मौजूद होकर बिल्कुल पास मे होकर भी उक्त रास्ते से 10 गुना लम्बा रास्ता कायम किये जाने का आदेश अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। उक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज किया जाकर उक्त विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पर्चा मौका दिनांक 13.01.2021 के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने-जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि विपक्षीगण की आराजी मे विद्यमान है, उक्त विद्यमान रास्ता जो पर्चा मौका दिनांक 13.01.2021 के अनुसार अपीलांट्गण विपक्षीगण की आराजीयात मे होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी तक जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वांछित रास्ता अपीलांट्गण विपक्षीगण की आराजीयात मे विद्यमान होने व इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही होने से अपीलांट्गण विपक्षीगण की आराजीयात मे विद्यमान रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित होने से अपीलांट विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा कायम किये गये रास्ते की भूमि के एवज राशी का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किया जा चुका है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23.07.2021 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली विपक्षीगण की तामील व जवाब हेतु नियत थी जिसे विपक्षीगण की बिना तामील व बिना जवाब प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण की आराजीयात मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस मे वांछित रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है, उक्त रास्ते के संबंध मे यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रण किया जाना संभव नहीं है कि उक्त वांछित रास्ता निकटतम व सुविधाजनक है। साथ ही वैकल्पिक रास्ता कितनी दूरी पर स्थित है, इसका भी अंकन प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नक्शे मे नही किया गया है जिससे वाछित रास्ता वैकल्पिक रास्ते की तुलना मे एकमात्र निकटतम व सुविधाजनक होना प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण विपक्षीगण को बिना सुने व मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किये बिना ही वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर विपक्षीगण अपीलांट्गण की खातेदारी की आराजीयात मे रास्ता कायम किया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23.07.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजीयात की उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तलब की जाकर, विपक्षीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, साक्ष्य लिवायी जाकर, गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय प्रकरण का 3 माह मे निस्तारण करे। उभय पक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 02.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)